"प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता स्कीम" के संशोधित दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थ व्यवस्था का अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूँजीगत लागत पर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मदद पहुँचाकर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हैं और राष्ट्रीय आय और संपत्ति के समान वितरण को सुनिश्चित करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के लिए पूरक हैं तथा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान करते हैं।

1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने तथा मौजूदा तथा भावी उद्यमियों के संगत कौशल का उन्नयन करने के उद्देशय से देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास को संवर्धित करता है। नए उद्यमों की स्थापना और नए उद्यमियों के सृजन को संवर्धित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता आ रहा है।

1.3 सूक्ष्म और लघु उद्यम विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के संवर्धन के लिए उद्यमिता विकास एक प्रमुख तत्व है, उद्यमिता और उसके परिणामस्वरूप रोजगार और धन सृजन समावेशी विकास का एक प्रमुख साधन है। इसलिए उद्यमिता विकास दुनियाभर के देशों की प्राथमिकताओं में एक रहा है।

1.4 नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें नए उद्यमों को प्रोत्साहित एवं उपयुक्त रूप से साधन-संपन्न बनाने के उद्देश्य से सरकार उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थान/उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना में सहायता प्रदान करती आ रही है। ये संस्थान प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को उद्यमिता और कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करते आ रहे हैं तथा उन्हें अपने उद्यमों की स्थापना में सहायता प्रदान करते आ रहे हैं। सरकार कार्यक्रम सहायता के माध्यम के साथ-साथ प्रशिक्षण आधार अवसंचरना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराकर उद्यमिता को गति और संवर्धित करने के लिए सतत और सघन प्रयास करती है।

1.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास नियमित आधार पर कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), हैदराबाद, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरि), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के प्रशिक्षण सह इंक्यूबेटर केन्द्र (टीआईसी), केन्द्रीय औजार कक्ष

(प्रौद्योगिकी केन्द्र), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआई) और कयर बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र जैसे संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क है।

2. प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता स्कीम (एटीआई)

एटीआई स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास, उद्यमिता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान एवं अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षण हेतु क्षमता सुदृढ़ करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का कार्य देखने वाले जिला उद्योग केन्द्र तथा संबंधित सरकारी संस्थानों के स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करना और ऐसे प्रशिक्षण हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों की समग्र क्षमता को सुदृढ़ करना है। कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता ढाँचा (एनएसएफक्यू) के द्वारा अनुमोदित मॉड्यूल के अनुसार दिया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास शुरू करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्र स्तरीय संस्थानों में वास्तविक अवसंरचना और मानव संसाधन (एच.आर) दोनों का क्षमता निर्माण करना है। राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक प्रमुख राष्ट्र स्तरीय संस्थान है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मुद्दों पर कई राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान कार्य कर रहे हैं।स्कीम का उद्देश्य निम्समे को समर्थ करना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने हेतु राज्य स्तरीय उद्यमिता कौशल विकास संस्थानों का चयन करना और साझेदारी में अध्ययन शुरू करना है। राज्य और केन्द्र सरकार के विभागों के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सहायता प्रदान करने के लिए अधिक स्टाफ है। इस स्कीम में जिला उद्योग केन्द्र और राज्यों के उद्योग विभाग में कार्यरत स्टाफ की क्षमता सुधारने का भी प्रस्ताव है।

3. स्कीम के अंतर्गत सहायता

3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एमएसएमई मंत्रालय)

3.1.1 पात्रता

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों की नई शाखाएं/केन्द्र खोलने सहित अवसंरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण/विस्तार करने और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के राजस्व घाटे की पूर्ति, यदि कोई हो, के लिए इस स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

3.1.2 सहायता का स्केल

सहायता राशि प्रशिक्षण संस्थानों की अवसंरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण/विस्तार तथा निमस्मे के राजस्व घाटे की पूर्ति आदि के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि से अधिक नहीं होगी।

3.2 राज्य स्तरीय ईडीआई को सहायता

3.2.1 पात्रता

(i) मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई अर्थात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन और अनुसंधान करने में क्षमता विकसित करने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व वाले और नियंत्रित (उद्यमिता विकास संस्थान) को स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा सकती है।

(ii) वित्तीय सहायता भवन के निर्माण, प्रशिक्षण सहायता/उपकरणों, कार्यालय उपकरणों, कंप्यूटरों की खरीद और अन्य सहायता सेवाएं जैसे पुस्तकालय/डाटाबेस आदि उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मामले में विशेष आवश्यकताओं के लिए ही होगी। भूमि की लागत, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण आदि को केन्द्र सरकार के अनुरूप अनुदान की गणना के लिए माना नहीं जाएगा।

(iii) स्कीम के अंतर्गत नई ईडीआई की स्थापना के लिए अब से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, पूर्व में अनुमोदित या प्रतिबद्ध प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए कार्यवाही पूर्व संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

3.2.2 सहायता का स्केल

(i) राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान के लिए स्कीम के अंतर्गत अधिकतम सहायता प्रत्येक मामले में 250 लाख रूपये तक सीमित होगी। अनुदान का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन एवं अनुसंधान शुरू करने में वास्तविक अवसंरचना के विकास, उपकरण, संकाय प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। यह अनुदान एटीआई स्कीम के अंतर्गत पूर्व में संस्थान द्वारा प्राप्त अनुदान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा।

(ii) इस श्रेणी के अंतर्गत अनुदान के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व वाले और नियंत्रित ईडीआई का राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार चयन किया जाएगा। चयनित राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान को अनुमोदित प्रस्ताव को प्रतिपादित और कार्यान्वित करने के लिए निम्समे के साथ साझेदारी में (अथवा समझौता ज्ञापन) समझौता करना होगा।

3.2.3 अन्य शर्तें

(i) सभी प्रस्ताव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के माध्यम से आएंगे और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की सिफारिश आवश्यक होगी।

(ii) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान को निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा करना अपेक्षित होगा तथा स्वीकृत पत्र में निर्धारित अवधि में स्वीकृत सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परियोजना पूर्ण करने में हुए विलम्ब की अवस्था में समय-सीमा का विस्तार औचित्य के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से प्राप्त करना होगा।

(iii) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से लिखित अनुमति लिए बिना इस स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता से सृजित परिसंपत्तियों को न तो बेचेंगे अथवा न ही पट्टे पर देंगे अथवा किसी प्रकार का प्रभार सृजित करेगा।

(iv) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना उद्यमिता विकास संस्थान के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान का चार्टर जो इसके उद्देश्यों को दर्शाता है ,उसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिखित आदेश के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(v) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान की प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षा की जाएगी तथा सहायता प्राप्त ईडीआई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को वित्तीय सहायता की प्राप्ति के उपरांत कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। समीक्षाधीन अवधि में स्कीम के कार्यान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट में निर्माण कार्यकलाप, मशीनरी/उपकरण आदि की प्राप्ति के ब्यौरे शामिल होंगे। वार्षिक रिपोर्ट में लेखा-परीक्षा किए गए लेखाओं के साथ समीक्षाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा संपादित कार्यकलापों के ब्यौरे शामिल होने चाहिए। रिपोर्ट में भागीदार प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षुओं के ब्यौरे तथा सफल उद्यमियों जिन्होंने अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं ,के ब्यौरे भी शामिल होंगे।

(vi) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान को किसी भी समय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सत्यापन हेतु अनुदान निधियों के उपयोग से प्राप्त परिसंपत्तियों/उपकरणों का एक नियत परिसम्पत्ति रजिस्टर रखना होगा।

(vii) समयावधि में स्वीकृत निधियों के उपयोग में असफल अथवा इसके दुरुपयोग ,दुर्विनियोजन अथवा पथांतर अथवा उक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन करने पर सरकार के पास सम्पूर्ण सहायता राशि ब्याज सहित लेने तथा इसके अतिरिक्त अन्य कानूनी और/या आर्थिक दंड लगाने, जैसा आवश्यक समझें, का अधिकार होगा।

(viii) केन्द्र सरकार सहायता की स्वीकृति/जारी करने से पूर्व यदि आवश्यक हो तो ऐसी अन्य शर्तें भी निर्धारित कर सकती है।

3.3 अनुसंधान और अध्ययन शुरु करने के लिए सहायता

(i) सहायता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान और अध्ययन करने के लिए संस्थानों और व्यक्तिगत विशेषज्ञों को उपलब्ध कराई जा सकती है। मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान 15 लाख रुपए तक होगा। इस अनुदान का उपयोग उपकरण, पुस्तकों और जर्नल, सेवाएं भाड़े परं लेना, क्षेत्रीय अधिकारियों, आकस्मिक यात्रा और क्षेत्रीय कार्य जैसी मदों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ii) संयुक्त सचिव (एसएमई) की अध्यक्षता में गठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में छानबीन समिति प्रत्येक मामले में अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्तावों पर विचार और सिफारिश करेगी।

(iii) अनुदान की स्वीकृति के लिए सचिव का अनुमोदन मांगा जाएगा।

(iv) अनुदान के लिए आवेदन निर्धारित प्रोफॉर्मा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उप सचिव (ईडीआई) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(v) अनुसंधान और अध्ययन के अनुदान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

3.4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम चेयर स्थापित करने के लिए सहायता

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मुद्दों पर अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए एमएसएमई चेयर स्थापित करने के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे विख्यात शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को स्कीम के अंतर्गत वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ii) सचिव (एमएसएमई), संयुक्त सचिव (एसएमई), अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार तथा अपर सचिव तथा विकास आयुक्त (एमएसएमई) वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की समिति प्रत्येक मामले में प्रस्तावों पर विचार करेगी और अनुदान की स्वीकृति के लिए सिफारिश करेगी।

3.5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता

3.5.1 पात्रता

(i) निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों को कौशल विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा सकती हैः

(i) निम्समे, (ii) एनएसआईसी, (iii) केवीआईसी, (iv) कयर बोर्ड, (v) औजार कक्ष/प्रौद्योगिकी केन्द्र, (vi) एमगिरी।

(ii) इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता आवर्ती और राजस्व प्रकृति की होगी।

(iii) केन्द्र सरकार ऐसी अन्य शर्तें जो आवश्यक हों, सहायता की स्वीकृति/जारी करने से पहले निर्धारित कर सकती है।

3.5.2 सहायता का स्केल

(i) स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम के लिए सहायता एनएसक्यूएफ अनुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षण इनपुट के घंटों की संख्या) की अवधि आधारित उपलब्ध कराई जाएगी। अनुदान की पहली किस्त अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी और शेष राशि निम्नलिखित दरों तक सीमित प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाएगीः

श्रेणी I पाठ्यक्रमः 38.50 रु. प्रति व्यक्ति प्रति घंटा प्रशिक्षण
श्रेणी II पाठ्यक्रमः 33.50 रु. प्रति व्यक्ति प्रति घंटा प्रशिक्षण
श्रेणी III पाठ्यक्रमः 27.50 रु. प्रति व्यक्ति प्रति घंटा प्रशिक्षण

(ii) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम के लिए सहायता प्रति प्रशिक्षु प्रति घंटा 60 रुपए की दर से (अथवा, सामान्य मानदण्ड/एनएसक्यूएफ के अंतर्गत जो भी कम हो निर्धारित दर) प्रदान की जाएगी।

(iii) अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रत्येक मामले में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(iv) उपर्युक्त दर अनुसार जारी करने के लिए विचारार्थ सहायता की कुल राशि में पात्र प्रशिक्षुओं के चयन के लिए प्रेरणा शिविर, स्थान और उपकरण का भाड़ा प्रभार (यदि कोई हो), बिजली/पानी, लेखन सामग्री, परियोजना कार्मिक की तैनाती की जनघंटा लागत, प्रशिक्षणोपरांत अनुवर्ती कार्यकलापों आदि जैसे ऊपरी खर्च शामिल हैं।

(v) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान अपनी यात्रा और ठहरने के लिए स्वयं प्रबंध करना होगा। यदि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो यह प्रशिक्षु से वही शुल्क लेगा (सामान्य मानदंड/एनएसक्यूएफ के अधीन) जो यात्रा, भोजन और आवास

एवं वृत्तिका आदि के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों आदि की स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभों से इस स्कीम के अंतर्गत सहायता सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनुमत्य होगी। तथापि, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षण संस्थान की होगी कि एक से अधिक स्कीम के अंतर्गत एक ही प्रयोजन के लिए द्विरावृत्ति नहीं की गई है और सहायता के लिए दावा नहीं किया गया है।

3.5.3 अन्य शर्तें

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान अपने प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को सीधे प्रस्तुत करेंगे। छानबीन समिति प्रस्ताव की उपयुक्तता, प्रशिक्षण संस्थान की सक्षमता, क्षमता और अनुभव/विगत कार्य निष्पादन, निधियों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार करेगी और अनुमोदन के लिए सचिव (सूलमउ) को अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्तावों को अग्रेषित करेगी।

(ii) अनुमोदन के बाद, मंत्रालय राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों को आवश्यक निधियां देगा। प्रशिक्षणों कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, संबंधित संस्थान, मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। संबंधित संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं की वास्तविक भागीदारी को प्रमाणित करते हुए इनपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(iii) छानबीन समिति आवेदक प्रशिक्षण संस्थान की सक्षमता, क्षमता और अनुभव की जांच के लिए मानदंड भी निर्धारित करेगी।

(iv) केन्द्र सरकार और/अथवा संबंधित राष्ट्र स्तरीय संस्थान, जैसा आवश्यक समझे, अपने कार्यालयों के माध्यम से या एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से इस प्रकार की आगे जांच अथवा सत्यापन कर सकते हैं।

(v) यदि बाद में ऐसा पाया जाता है कि उस सहायता का दावा झूठा या धोखाधड़ी-पूर्वक किया गया है या उसी मद/कार्यकलाप के लिए सहायता का दावा किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत भी किया गया है तो सरकार संपूर्ण सहायता राशि को ब्याज के साथ वसूलने तथा वैसी अन्य कानूनी और/अथवा दंडात्मक कार्रवाई करने की पात्र होगी, जैसा आवश्यक समझे।

4. आवेदन की प्रक्रिया

स्कीम में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ईडीआई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों आदि से उक्त पैरा 3.1 से 3.5 के अंतर्गत प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए प्रस्ताव उप सचिव/निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 को प्रस्तुत किए जाएंगे। उपर्युक्त पैरा 3.1,3.2,3.3 और 3.5 के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्तावों को विचारार्थ नीचे पैरा 5 में गठित छानबीन समिति को प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। छानबीन समिति स्कीम के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों की छानबीन करेगी और सचिव (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। सचिव (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के अनुमोदन के पश्चात् स्वीकार्य सहायता जारी की जाएगी/अनुमोदन आवेदक संगठन को संसूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी प्रशिक्षण संस्थान/गैर-सरकारी संगठन को अवसंरचना सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम की सहायता के लिए स्कीम में कवर नहीं किया जाता है।

5. छानबीन समिति

छानबीन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :

i. संयुक्त सचिव (एसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - अध्यक्ष
ii. आर्थिक सलाहकार वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
iii. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के प्रतिनिधि
iv. उप सचिव/निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - सदस्य सचिव
v. महानिदेशक, निम्समे (अनुसंधान और अध्ययन के लिए घटक : 3.3)

6. मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

स्कीम की प्रगति की समय-समय पर छानबीन समिति और सचिव (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) द्वारा नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाएगी। स्कीम के समग्र प्रभाव का चौदहवें वित्त आयोग चक्र अर्थात् 2019-20 के अंत में एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।

*****